

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-20112020-223195
SG-DL-E-20112020-223195

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 251]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 19, 2020/कार्तिक 28, 1942	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 199
No. 251]	DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 19, 2020/KARTIKA 28, 1942	[N. C. T. D. No. 199

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2020

संख्या 63/2020-राज्य कर

सं. फा. 3(60)/वित्त (राजस्व-1)/2020-21/डीएस-IV/163.— दिल्ली माल और सेवाकर (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का दिल्ली अधिनियम 06) की धारा 1 की उपधारा (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद द्वारा, सितम्बर, 2020 का पहला दिन उस तारीख के रूप में नियत करते हैं, जिस दिन दिल्ली माल और सेवाकर (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का दिल्ली अधिनियम 06) की धारा 10 के प्रावधान लागू होंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

मनोज कुमार, उप सचिव-IV (वित्त)

FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 19th November, 2020

No. 63/2020– State Tax

No. F3(60)/Fin(Rev-I)/2020-21/DS-IV/163.—In exercise of the powers conferred by sub-section (ii) of section 1 of the Delhi Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2019 (Delhi Act 06 of 2019), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby appoints the 1st day of September, 2020, as the date on which the provisions of section 10 of the Delhi Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2019 (Delhi Act 06 of 2019), shall come into force.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

MANOJ KUMAR, Dy. Secy.-IV (Finance)